



6/2/18

167

राजस्थान सरकार  
कार्यालय जिला कलक्टर (भू अभिलेख) अजमेर, जिला-अजमेर

क्रमांक: कअ/भू अभिलेख/17/18

दिनांक: 05/09/2018

--: आदेश :-

सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगी परीक्षा-2015 का परिणाम घोषित करने के उपरान्त राजस्व मण्डल द्वारा अपने पत्रांक राम/भूअ/परीक्षा/प-279/2017/11947-50 दिनांक 29.12.2017 एवं राम/भूअ/परीक्षा/प-279/2017/851-882 दिनांक 05.02.2018 के द्वारा क्रमशः 01 एवं 22 कुल 23 अभ्यर्थियों को जिला अजमेर आवंटित करते हुए इन्हें नियुक्ति प्रदान किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। अतः पत्र की पालना में अजमेर जिले को आवंटित निम्नांकित अभ्यर्थियों को राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रिकार्ड्स) रूल्स 1957 के नियम-4 एवं तत्पश्चात समय समय पर जारी अधिसूचना/निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत पटवार पद पर दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नियुक्त किया जाकर दिनांक 06.02.2018 तक अपनी उपस्थिति मूल दस्तावेज, मय पुलिस चरित्र सत्यापन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/मेडिकल ज्यूरिस्ट द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के साथ जिला कार्यालय में प्रस्तुत की जावे। दस्तावेजों के सत्यापन उपरान्त कुल 23 प्रशिक्षु पटवारीयान को सर्वउद्देशीय प्रशिक्षण संस्थान टोंक जिला टोंक राजस्थान में दिनांक 7.2.2018 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थी के रूप में 6 (छः) माह अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा सत्र की सम्पूर्ण अवधि में विभागीय परीक्षा देने हेतु उपस्थिति 75 प्रतिशत नियमानुसार अनिवार्य होगी। यह नियुक्तियाँ माननीय उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर में विचाराधीन एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9454/2017 देवेन्द्र सिंह मेहता बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा इस याचिका के साथ संलग्न अन्य याचिकाओं, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8402/2017 मनीष चौधरी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8454/2017 श्रवण स्वामी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8829/2017 ओम प्रकाश खावा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15538/2017 मोहिनी बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11711/2017 मनीष विश्नोई बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8263/2017 रोहिताश बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7870/2017 भोमाराम बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13151/2017 पूनम कंवर बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8110/2017 शंकरलाल डूडी बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 18032/2017, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16106/2017, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17676/2017, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 18049/2017, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13009/2017, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13089/2017, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13008/2017, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13090/2017, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13011/2017, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13007/2017, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 18326/2017, 10360/2017, 9735/2017, 10549/2017, 12009/2017, 11875/2017, 11874/2017, 11788/2017, 11878/2017, 11881/2017, 11877/2017, 11876/2017, 11879/2017, 8402/2017, 8413/2017, 8133/2017, 12552/2017, 12551/2017, 10690/2017, 11538/2017, 15109/2017, के निर्णय के अध्याधीन रहेगी।

परिवीक्षाकाल के दौरान राज्य सरकार की विज्ञप्ति क्रमांक: एफ-1(2) एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.3.2006 एवं वित्त विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक: एफ-12 (6) एफडी/(रूल्स)/05 दिनांक 13.3.2006 एवं राज्य सरकार की अधिसूचना सं. प.11 (7) वित्त (नियम) /2008 दिनांक 12.9.2008 द्वारा संशोधित वेतनमान लागू किये जाने एवं एफ-14(1) एफ.डी.(रूल्स) /2013-II जयपुर दिनांक 28.6.2013 व एफ-14(1) एफ.डी.(रूल्स) /2013 पीटी. जयपुर दिनांक 08.06.15 के द्वारा संशोधित

m

वेतनमान लागू किये जाने के फलस्वरूप नियत पारिश्रमिक (fixed remuneration) नियमानुसार प्रति माह की दर से देय होगा। परिवीक्षाधीन नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है, इन्हें पूर्व सूचना अथवा नोटिस दिये बिना किसी भी समय राज्य सेवा से पृथक किया जा सकता है। कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या 7(1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.6.2001 के अनुसार ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके दिनांक 1.6.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक सन्तान हो सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, अन्य निर्देश जो नियमान्तर्गत है लागू होंगे।

क्रम सं.	रोल नम्बर	चयनित वर्ग	नाम/पिता का नाम	जाति वर्ग	जन्म दिनांक
1	167560	OBCF	प्रियंका चौधरी/नानूराम चौधरी	OBC	08-Aug-1996
2	101037	SCM	रतनलाल/मकखन राम	SC	01-July-1987
3	102919	OBCM	मुकेश कुमार गुर्जर/अर्जुनलाल गुर्जर	OBC	23-July-1995
4	104170	GENF	संजीव देवी/लक्ष्मणलाल चौधरी	GEN	20-Dec-1991
5	104409	OBCM	मोहित कुमार कंसारा/प्रेमचन्द कंसारा	OBC	25-Sep-1995
6	116190	GENM (EX)	जितेन्द्र सिंह/बजरंग सिंह	GEN	05-Jun-1975
7	118322	OBCM	सतीश कुमार/धर्मेन्द्र सिंह	OBC	02-Jan-1995
8	120899	GENM	अनुराग पासोरिया/प्रभु दयाल शर्मा	GEN	12-Mar-1997
9	127838	STM	धीरज कुमार/ बद्री प्रसाद	ST	18-Aug-1994
10	130193	GENM	देवेन्द्र कुमार मेहता/श्रवण कुमार मेहता	GEN	02-Mar-1996
11	130901	SCM	विनय कुमार/केशव चन्द जाटव	SC	24-Oct-1991
12	131208	WIDOB	सुनीता प्रजापत/मोतीलाल प्रजापत	OBC	06-May-1989
13	131935	GENM(EX)	बजरंग लाल ब्राह्मण/ नत्थाराम ब्राह्मण	GEN	04-Dec-1976
14	141267	STM	रामकेश मीना/मोडाराम मीना	ST	07-AUG-1995
15	155429	SCM	सतीश कुमार जाटव/बाल्याराम	SC	01-Jan-1997
16	160121	STM	चन्द्रप्रकाश मीना/सीताराम मीना	ST	28-Jul-1994
17	162937	OBCM	कुम्भाराम मूंड/बलदेव सिंह	OBC	01-Jul-1980
18	186730	GENM	उमेश गौतम/बद्रीनारायण गौतम	GEN	16-Jan-1990
19	191040	SCM	अनिल कुमार/कानाराम	SC	22-Oct-1993
20	192605	GENM	बसन्त कुमार भिण्डा/मंगल चन्द भिण्डा	GEN	12-Jul-1991
21	196858	GENM	ब्रजेन्द्र चौधरी/करण सिंह चौधरी	GEN	14-Aug-1993
22	199571	STM	नरेन्द्र कुमार मीना/रणजीत सिंह मीना	ST	07-Jul-1994
23	200452	WIDSC	मालती/मोहनलाल सिंगोदिया	SC	20-Mar-1980

नोट:-

- कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या 8(1)का/क-2/03 दिनांक 9.6.03 अनुसार नवनियुक्त पर लागू सिविल सेवा पेन्शन नियम लागू नहीं होने से वित्त विभाग के मेमोरेण्डम क्रमांक: एफ-13(1)एफ.डी./रुल्स/2003 दिनांक 28.1.2004 के अनुसार अंशदायी पेन्शन योजना लागू होगी।

*m*



2. प्रशिक्षण सत्र की अवधि 06 माह की होगी तथा इस अवधि में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति नियत पारिश्रमिक नियमानुसार प्रतिमाह की दर से दिया जायेगा। सत्र की सम्पूर्ण अवधि में उपस्थिति नियमानुसार अनिवार्य होगी।
3. प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात् होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण होने व दो वर्ष की परिवीक्षाकाल सन्तोषजनक होने पर नियमानुसार पटवारी पद की सेवाएँ नियमित करने की कार्यवाही की जावेगी। यदि कोई प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के पश्चात् होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता है तो उसकी सेवाएँ नियमित नहीं की जायेगी।
4. प्रशिक्षणार्थियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में 91000/- रु. का बन्ध पत्र स्वयं के हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा। परीक्षोपरान्त राज्य सरकार के अधीन पटवारी के पद पर आपको कम से कम तीन वर्ष सेवाएँ अर्पण करनी होगी अन्यथा आपके प्रशिक्षण पर खर्च की गई समस्त धन राशि राज्य सरकार को लौटानी होगी।
5. प्रशिक्षण अवधि में कोई यात्रा भत्तादि देय नहीं होगा।
6. अस्थाई प्रशिक्षण शाला में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर अभ्यर्थी को स्वयं की व्यवस्था करनी होगी।
7. यह नियुक्तियों स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पुलिस के सद्चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट के अध्यक्षीन रहेगी।

जिला कलेक्टर,  
अजमेर

क्रमांक: कअ/भूअ/पट.परीक्षा/2017/ 684-736

दिनांक: 05-02-2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव (भू अभिलेख), राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
2. सम्भागीय आयुक्त, अजमेर
3. निदेशक, राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर को उनके पत्रांक: प.3-1(13)(17) राअप्रशि/प्रशि/2016/3746-78 दिनांक 5.2.2018 एवं राजस्व मण्डल के पृष्ठांकन क्रमांक: राम/भूअ./परीक्षा/प-281/17/900 दिनांक 5.2.2018 के क्रम मे
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी अजमेर/अधीक्षक, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि नियुक्त पटवारियों के उपस्थित होने पर उन्हें नियमानुसार उसी दिवस चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करवाने की व्यवस्था करावें।
5. ए.सी.पी. सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, कलेक्ट्रेट, अजमेर को जारी आदेश की प्रति संलग्न कर लेख है कि आदेश को अजमेर जिले की वेब साईट पर आज ही डालने की व्यवस्था करें ताकि अभ्यर्थी वेब साईड से आदेश की प्रति प्राप्त कर सकें।
6. प्रधानाचार्य, सर्वउदेश्यीय प्रशिक्षण संस्थान टोंक जिला टोंक
7. सम्बन्धित अभ्यर्थी श्री/श्रीमति/सुश्री.....
8. निजी पत्रावली सम्बन्धित अभ्यर्थी श्री/श्रीमति/सुश्री.....  
द्वारा प्रधानाचार्य, सर्वउदेश्यीय प्रशिक्षण संस्थान टोंक जिला टोंक
9. आदेश पत्रावली

प्रभारी अधिकारी,  
भू अभिलेख अनुभाग  
कलेक्ट्रेट, अजमेर